सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं. 5144 / 1022 / 2015

दिनांक: 25.07.2017

के मामले में :–

श्रीमती रंजना वर्मा R2346
ईमेल <ranjana8august@gmail.com>

–वादी

बनाम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, R2347
(द्वारा : आयुक्त)
18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110 016
फैक्स: 26858570 / 26514179

–प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि: 05.04.2017
उपस्थित: कोई भी पक्ष नहीं

आदेश

श्रीमती रंजना शर्मा ने उनके बैरागढ़ से भोपाल स्थानांतरण करवाने से संबंधित शिकायत नि:शक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरखण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में दायर की ।

2. मामले को अधिनियम की धारा 59 के तहत पत्र दिनांक 28.09.2015 द्वारा आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के साथ उठाया गया ।

3. संयुक्त आयुक्त(प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पत्र दिनांक 10 / 16.11.2015 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया कि प्रार्थिनी श्रीमती रंजना वर्मा, टी.जी.टी.(शारीरिक शिक्षा) ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री, जो शारीरिक रूप से नि:शक्त है, की चिकित्सा के लिए स्थानांतरण केन्द्रीय विद्यालय, विदिसा से स्टेशन कोर्ड 052 मांगा था, जो दिनांक 21.07.2015 के आदेश के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, बैरागढ़ कर दिया गया क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय, बैरागढ़ का स्टेशन कोड 052 है। अब प्रार्थिनी श्रीमती रंजना वर्मा, टी.जी.टी. (शारीरिक शिक्षा) ने आपके मार्फत से दोबारा केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़ से केन्द्रीय विद्यालय, नं–1 / नं–2, भोपाल में स्थानांतरण संशोधन के लिए अनुरोध किया है। अत: उक्त संशोधन के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया परन्तु वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय, नं–1 / नं–2 भोपाल व विदिशा में कोई पद रिक्त न होने के कारण स्थानांतरण नहीं किया जा सकता ।

4. इस न्यायालय के पत्र दिनांक 24.11.2015 द्वारा प्रतिवादी के उपरोक्त पत्र वादी श्रीमती रंजना वर्मा को उनके टिप्पण हेतु भेजा गया ।

पृ० २

5. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.12.2015 द्वारा इस न्यायालय को निम्नलिखित अवगत कराया कि :–

- उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय विदिशा से भोपाल शहर के केन्द्रीय विद्यालय में अपनी 13 वर्षीय निःशक्त पुत्री, जिसका एकमात्र ईलाज दैनिक फिजियोथैरेपी है, की बेहतर चिकित्सा को दृष्टिगत रखते हुए स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहा था ।
- भोपाल(स्टेशन कोड 052) में 05 केन्द्रीय विद्यालय शामिल किए गए है, जिनमें भोपाल मुख्य शहर में केन्द्रीय विद्यालय क्रं.–1 एवं केन्द्रीय विद्यालय क्रं.–2 एवं क्रं.–3 है, जबकि भोपाल उपनगर बैरागढ़ एंव बंनरसिया में भी केन्द्रीय विद्यालय संचालित है ।
- स्थानांतरण नीति 2015–16 में आवेदकों को स्टेशन कोड भरवाए गए, उन्हें केन्द्रीय विद्यालय का कोड भरने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि त्रटिपुर्ण है।
- प्रार्थिनी को भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रदान किया गया, जबकि बैरागढ़ में फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बैरागढ़ से एम्स भोपाल एवं रीजनल स्वाइन सेंटर, भोपाल लगभग 20 कि.मी. से भी अधिक दूरी पर स्थित है। जहाँ प्रतिदिन अपनी निःशक्त पुत्री को फिजियोथैरेपी हेतु ले जाना एवं वापस लाना उनके लिए संभव नहीं है।
- उनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़ में स्वैच्छिक स्थानांतरण होने से उनकी निःशक्त पुत्री की चिकित्सा में व्यवधान उत्पन्न होने के फलस्वरूप तत्काल उचित माध्यम से एवं केन्द्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर स्थानांतरण संबंधित शिकायत/अभ्यावेदन को हाथों–हाथ दर्ज कराते हुए निवेदन किया था कि उन्हें केन्द्रीय विद्यालय, बैरागढ़ के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाए ।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा उनके अभ्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं की गई और उन्हें जबरदस्ती केन्द्रीय विद्यालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया । उनकी पुत्री को चिकित्सा के लिए उनके अभ्यावेदन के निराकरण का इंतजार करते हुए अवैतनिक रही तथा मजबूरन उन्हें मुख्य आयुक्त निःशक्तजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना पड़ा । माननीय न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के द्वारा भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन के लिए किए गए विधिक प्रावधानों के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन को संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के द्वारा नियमानुसार दिशा निर्देश दिए गए । इस सूचना पत्र में समस्या/शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया गया है। पत्र में यह नाराजगी भी छिपी हुई प्रतीत होती है कि उन्होंने मुख्य आयुक्त निःशक्तजन को अभ्योवदन प्रस्तुत कर शिकायत क्यों की?
- केन्द्रीय विद्वालय संगइन के द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक स्थानांतरण संबंधित अभ्यावेदन का इस तहत गिराकरण किया गया है, जैसे कि उन्हें कोई प्रशासनिक रूप से दण्ड स्वरूप स्थानांतरण किया गया हो । उनके द्वारा उनकी निःशक्त पुत्री की चिकित्सा से संबंधित पहलू/समस्या पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय करबद्ध निवेदन है कि यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन उन्हें अपनी निःशक्त पुत्री के बेहतर चिकित्सा क्रं.–1 भोपाल या केन्द्रीय विद्यालय क्रं.–2 भोपाल में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं दे सकता है तो उनका केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़ किया गया स्थानांतरण निरस्त करने की कृपा

करें । उनके स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ से केन्द्रीय विद्यालय विदिशा स्थानांतरित किए गए श्री अजय वराठे, पी.ई.टी. ने भी अपने परिवार को विदिशा में शिफट नहीं किया है, वरन् वे केन्द्रीय विद्यालय विदिशा में स्थानांतरण के बाद से लगातार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के माध्यम से निरन्तर अटेच होकर भोपाल या अन्य प्रतियोगिता में अतिरिक्त टी.ए., डी.ए. का फायदा लेकर कार्य कर रहे है। वे केन्द्रीय विद्यालय विदिशा में बहुत कम दिन उपस्थित हुए है।

5. दोनों पक्षों के लिखित बयानों के जांचोपरान्त इस न्यायालय के पत्र दिनांक 10/17.03.2017 द्वारा मामले को दिनांक 05.04.2017 को 16.00 बजे सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया ।

6. उपरोक्त निर्धारित तिथि 05.04.2017 को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।

7. सहायक आयुक्त(स्थापना), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 12.04.2017 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया है कि प्रार्थिनी श्रीमती रंजना वर्मा, टी.जी.टी.(शारीरिक शिक्षा) ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री जो शारीरिक रूप से निःशक्त है, को चिकित्सा के लिए केन्द्रीय विद्यालय विदिशा से भोपाल स्थित केन्द्रीय विद्यालय हेतु स्थानांतरण को निवेदन किया था । उनके निवेदन को स्वीकार करते हुये केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2015 के द्वारा उनका स्थानांतरण केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़, भोपाल में कर दिया था । श्रीमती रंजना ने पुनः इस आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया था, उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये कार्यालय के आदेश दिनांक 02.11.2016 द्वारा केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़ से पुनः उनका स्थानांतरण केन्द्रीय विद्यालय विदिशा में कर दिया गया है। श्रीमती रंजना वर्मा वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय विदिशा में कार्यरत है और यह स्थान उनकी स्वैच्छिक नियुक्ति का स्थान है। प्रतिवादी का यह भी कहना है कि माननीय न्यायालय ने सुनवाई की निर्धारित तिथि 05.04.2017 को संगठन की ओर से कोई प्रतिनिधि/अधिकारी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।

8. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मामले को इस निर्देश के साथ बन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रशासनिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक संभव हो सकें दिव्यांग कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा उनके दिव्यांग बच्चों की स्थिति में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को उनकी सुविधानुसार उनके गृह निवास स्थल के नजदीक पदस्थ किया जाना चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्यों का पूर्णतया निर्वाह कर सकें ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन